राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(70) ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–A.H./2014(पार्ट–1)/Eo-56419 जयपुर, दिनांकः 28 NOV 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के दिशा–निर्देश दिनांक 04.05.2011 के बिन्दु संख्या 1(ख)(ii), 6(iv) एवं परिशिष्ट–2 में संशोधन तथा अपना खेत अपना काम कार्यों हेतु नये आवेदन पत्र के प्रारूप बाबत।**

प्रसंगः– **समसंख्यक पत्र दिनांक 04.05.2011 एवं दिनांक 27.05.2011 ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं जिलों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं. 1(ख)(ii), 6(iv), परिशिष्ट–2 में संशोधन तथा ''अपना खेत अपना काम'' हेतु नये आवेदन–पत्र के प्रारूप की मांग की जा रही है।

''अपना खेत अपना काम'' दिशा–निर्देश दिनांक 04.05.2011 के बिन्दु सं. 1(ख)(ii), 6(iv), परिशिष्ट–2 के वर्तमान प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1.(ख)(ii)	ऐसे परिवार, जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है, के लाभार्थी द्वारा सादा कागज पर आवेदन–पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित करवाकर अपने खाते की नवीनतम जमाबदी एवं नक्शा ट्रेस को संलग्न कर नियमानुसार योजनान्तर्गत लाभ ले सकेंगे।	उक्त प्रावधान में आवेदन पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी सम्बन्ध का उल्लेख शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित करवाने के स्थान पर स्वयं लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर सत्यापित करना तथा नक्शा ट्रेस की बाध्यता को हटा कर उसके स्थान पर नजरी नक्शा लगाया जाना।
6. (iv)	अपना खेत अपना काम के प्रत्येक कार्य में 60:40 का अनुपात सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	भारत सरकार द्वारा मास्टर सर्कुलर 2016–17 में किये गये संशोधनानुसार अपना खेत अपना काम के कार्यों में 60:40 का श्रम सामग्री अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।
परिशिष्ट–2	व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के तहत अनुमत सामग्री राशि से अधिक राशि के सम्बन्ध में लाभार्थी का सहमति–पत्र।	उक्त परिशिष्ट को विलोपित किया जाना।

साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' हेतु नये आवेदन–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ''अ'' पर तथा कार्यों की स्वीकृति हेतु चैक लिस्ट परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। प्रासंगिक आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

25.11.16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, कृषि/ग्रावि एवं पराvि/राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पराvि/कृषि एवं उद्यानिकी/राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग
8. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

परिशिष्ट–'अ'

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत
'अपना खेत अपना काम' व्यक्तिगत कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र
कार्यालय पंचायत समिति .... जिला .... (राज॰)

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी का नाम		ग्राम		ग्राम पंचायत			
पुत्र/पुत्री/पत्नी		जॉबकार्ड नं.		मोबाईल नं.		बी.पी.एल नं.	
जाति		परिवार एवं कृषक श्रेणी (सही का निशान लगावें)					

लाभार्थी की श्रेणी	बी.पी.एल. (2002)	एस. सी.	एस. टी.	पूर्व का इन्दिरा आवास लाभार्थी	विधवा/ एकल महिला मुखिया	विकलांग मुखिया परिवार	लघु कृषक	सीमांत कृषक	अन्य पात्र लाभार्थी

लाभार्थी के स्वामित्व/हिस्से की भूमि का विवरण

खसरा नं0	कुल रकबा हैक्टेयर	नोशनल शेयर	खातेदारों/मालिक का नाम मय वल्दियत/खसरा नं. जिसमें कार्य कराया जाना प्रस्तावित है

मुख्य एक्टीविटी के नाम (सही का निशान लगावें)	पशु आश्रय	बागवानी	मेडबन्दी	भूमि विकास कार्य	उपजाऊ मिट्टी भरना	फार्मपोण्ड	पानी टांका	चैकडेम
सिंचाई व्यवस्था (केवल श्रम)	धोरा	कम्पोस्ट पिट	डिच कम बण्ड	थोर फेंसिग	सुखे पत्थरों की पिचिंग	छायादार पौधारोपण	अन्य कार्य	

नोट : प्रार्थी के खेत की आवश्यकतानुसार अधिकाधिक (Maximum) एक्टीविटी ली जानी चाहिए।

घोषणा – मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के समस्त प्रावधानों का पालन करुंगा। इस योजना में मैंने पूर्व में किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया है तथा मेरी भूमि इसी ग्राम पंचायत में है जिसमें मैं निवास करता हूँ। मैं जॉबकार्ड धारी परिवार हूँ तथा अपने खेत पर स्वयं भी कार्य करने को तैयार हूँ। केटल शैड हेतु मैं प्रतिबंधित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वेटलेण्ड/मन्दिर माफी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं करुंगा। उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाने पर/राजकीय राशि के दुरुपयोग हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार होउगां, तथा व्यय राशि मुझसे वसूलनीय होगी। जिस भूमि पर कार्य कराना है, उसका नजरी नक्शा संलग्न है मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई वाद/स्थगन नहीं है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर लाभार्थी

आवश्यकतानुसार सहमति

मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करते है कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैंने/हमने ऊपर लिखी शर्तें पढ़ ली है और तद्नुरुप उक्त लाभार्थी जो कि मेरा/हमारा पारिवारिक सदस्य है, के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सहमति दे दी है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत

पुष्टि एवं अभिशंषा

प्रार्थी ने योजनान्तर्गत पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया है, कार्य ग्राम पंचायत .... की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुमत श्रेणी .... के आधार पर पात्रता रखता है। केटल शैड हेतु प्रतिबंधित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वेटलेण्ड/मन्दिर माफी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं कराया जायेगा। अतः उक्त सूचनाओं की पुष्टि की जाकर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य लिए जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील ग्रामसेवक

प्रार्थी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति राजीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य होने की दशा में –

समूह सदस्य का नाम	समूह का नाम	समूह का कोड/यूआईडी

राजीविका प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय नाम एवं पद

PTO

"अपना खेत अपना काम योजना" के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु चैक लिस्ट :–

1. पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. प्रार्थी की भूमि की जमाबन्दी की नकल (ई–मित्र द्वारा जारी नकल मान्य)।
3. प्रार्थी की भूमि का नज़री नक्शा।
4. जॉबकार्ड की फोटोप्रति।
5. बैक पास बुक एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति।
6. प्रस्तावित कार्यस्थल (कृषि भूमि/आवासीय भूमि) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटो (प्रार्थी के साथ)।
7. पशु आश्रय स्थल आवासीय भूमि में निर्मित करवाने की दशा में सादे कागज पर स्वयं लिखित एवं हस्ताक्षरित नजरी नक्शा।
8. प्रार्थी के आवेदन के अनुसार जमीन के सुधार को ध्यान में रखकर अनुमत मॉडल के अनुरुप जेटीए/जेईएन द्वारा तैयार किया गया तकमीना एवं सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी स्वीकृति।